ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या–1, सैक्टर– नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला–गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0) ।

website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in
gmfinance@gnida.in

पत्रांक :– 47068 / वित्त / कार्यालय आदेश / 2024–25 दिनांक: 10 / 07 / 2024

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के सभी प्रकार के देयों के सम्बन्ध में ब्याज दर हेतु पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्याः 3646 / वित्त / कार्यालय आदेश / 2023–24, ग्रे0नौ0 दिनांक 09.01.2024 एवं उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07.11.2022 के अनुपालन में जारी कार्यालय आदेश संख्याः 76288 / ग्रे0नौ0 / / कार्यालय– आदेश / 2022–23 दिनांक 23.11.2022 के कम में दिनांक 01 जुलाई, 2024 से ब्याज दरें निम्नवत् लागू होगीः–

1. तीन वर्ष की अवधि के ऋण हेतु एस0बी0आई0 के एम0सी0एल0आर0 दर दिनांक 01 जुलाई, 2024 को 8.95 प्रतिशत है, जिस पर प्रशासनिक व्यय 1.00 प्रतिशत को शामिल करते हुए अगले 0.5 प्रतिशत तक के स्तर तक round off करने पर 10.00 प्रतिशत आगणित होता है।
2. समय से देयों के भुगतान को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से डिफॉल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्डब्याज दर 03 प्रतिशत अतिरिक्त (प्रत्येक 06 माह में कम्पाउडिंग करते हुए) लागू की जाए।

अतः प्राधिकरण की सभी सम्पत्तियों के समस्त देयों पर (आम्रपाली ग्रुप ऑफ कम्पनियों को छोड़कर) उपरोक्त शर्तो के अनुसार ब्याज दर 10.00 प्रतिशत दिनांक 01 जुलाई, 2024 से लागू किया जाता है, जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 तक लागू रहेंगी।

1 जनवरी, 2025 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के MCLR के अनुसार पुनः दरें निर्धारित की जायेगी।

(श्रीलक्ष्मी वी0एस0)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ ऑफीसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यापालक अधिकारी (जी0 / डी0 / एस0के0एस0 / एस0एस0) को सूचनार्थ।
3. सम्बन्धित समस्त विभागाध्यक्ष को अनुपालनार्थ।
4. विशेषकार्याधिकारी (सिस्टम) को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त आदेश को प्राधिकरण की बेवसाईट पर तत्काल अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. गार्ड फाईल।

9/7/24

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी